NAME	PLACE	DATE
Dainik Navjoyti	Ajmer	18-08-2018

RSWM Limited
an LNJ Bhilwara Group Company

आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216
पंजीकृत कार्यालय: खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान
फोन: +91-1483-223144 to 223150, 223478,फैक्स: +91-1483-223361, 223479
कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)
फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841
ईमेल: rswm.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइट: http://www.rswm.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 57वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बृहस्पतिवार, 13 सितम्बर, 2018 को 11:30 बजे पूर्वाह्न 57वीं एजीएम की सूचना में विदित सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के निष्पादन हेतु कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा - 311021, राजस्थान में आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा डिपोज़िटरी पार्टिसिपैंट(ओं) के साथ पंजीकृत है, भेज दी गई हैं। एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति सभी अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत माध्यम से भेजी जा चुकी हैं। कथित सूचना का प्रेषण, इलेक्ट्रॉनिक तथा भौतिक दोनों माध्यम से, 17 अगस्त, 2018 को पूर्ण कर लिया गया है। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.rswm.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है और अवतरित की जा सकती है। वे सदस्य जिन्हें सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे उपरोक्त वेबसाइट से अवतरित कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति हेतु कम्पनी से अनुरोध कर सकते हैं।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर पुस्तकें शुक्रवार, 7 सितंबर 2018 से बृहस्पतिवार, 13 सितम्बर, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक एजीएम तथा 20%, अर्थात् ₹10 प्रत्येक के समता अंश पर ₹2/–, के समता लाभांश की अदायगी के उद्देश्य से बंद रहेगा। समता अंश(ओं) पर लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान 30 दिनों के अन्दर किया जाएगा।

कम्पनी हर्ष के साथ यह भी सूचित करती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबधन एवं संचालन) नियम, 2014, के नियम 20 जो कि कम्पनी (प्रबधन एवं संचालन) संशोधित नियम, 2015 ('संशोधन नियम, 2015') के द्वारा प्रतिस्थापित एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी सदस्यों को सूचना में निहित सभी प्रस्तावों पर नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रावधानित रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से, इलेक्ट्रानिक तौर पर मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 10 सितम्बर, 2018 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा बुधवार, 12 सितम्बर, 2018 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति बुधवार, 12 सितम्बर, 2018 को संध्या 5:00 बजे के पश्चात् नहीं दी जाएगी। उसके पश्चात् ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा वोटिंग हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

अंशधारक द्वारा एक प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात् अंशधारक को उन्हें बदलने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु कट ऑफ तिथि अर्थात् 6 सितम्बर, 2018 के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को उनके ई-मेल पतेः admin@mcsregistrars.com अथवा evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल भेज सकते है। वे सदस्य जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान नहीं कर रहे हों, वे वार्षिक साधारण बैठक में मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने बैठक के पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया हो वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं परन्तु उन्हें पुनः मतदान का अधिकार नहीं होगा।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉज़िटरीज़ द्वारा अनुरक्षित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में 'कट ऑफ' तिथि अर्थात् 6 सितम्बर, 2018 को दर्ज हो मात्र वे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा अथवा वार्षिक साधारण बैठक में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु अधिकृत होंगें। रिमोर्ट ई–वोटिंग की प्रक्रिया सूचना में उल्लेखित है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न हेतु www.evoting.nsdl.com पर सदस्यों हेतु उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) एवं अंशधारकों हेतु ई-वोटिंग युजर मैनुअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा टॉल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते है एवं श्री अमरजीत, वरिष्ठ प्रबधक, एमसीएस शेयर टांसफर एजेंट लिमिटेड से फोनः 011–41406148, 41406149 अथवा ई-मेल admin@mcsregistrars.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक मंडल ने श्री महेश कुमार गुप्ता, संव्यवसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या FCS 2870) को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है।

बोर्ड के आदेश से
कृते **आर एस डब्लू एम लिमिटेड**

सुरेन्दर गुप्ता
कम्पनी सचिव
एफसीएस–2615

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)
दिनांक : 17 अगस्त, 2018